



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112020-222897
CG-DL-E-02112020-222897

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 461]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 2, 2020/कार्तिक 11, 1942

No. 461]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 2, 2020/KARTIKA 11, 1942

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

संशोधन

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2020

सं. एल-1/253/2019/केविआ.-केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व प्रकाशन के पश्चात् केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें व अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2020 (जिसे इसके पश्चात् इसे मूल विनियम कहा गया है) को संशोधित करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

क. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें व अन्य संबद्ध मामले) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020 है।

ख. ये विनियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियमों के विनियम 8 का संशोधन:

2.1 मूल विनियमों के विनियम 8 के खंड (1) के उप-खंड (ड) में एक नया परंतुक निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:—

"परंतु यह कि व्यापार मार्जिन किसी भी पार्टी से बैंक संव्यवहार के लिए शून्य (0.0) पैसे/किलोवाट घंटा से कम नहीं होगा।"

3. मूल विनियमों के विनियम 9 का संशोधन:

3.1 विनियम 9 के खंड (10) के उप-खंड (ख) के बाद एक नया परंतुक निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:—

"परंतु यह कि जहां अल्पकालिक संविदा की अवधि एक माह से अधिक है, वहां विक्रेता के पक्ष में साख-पत्र संविदा की वैधता के समतुल्य वैधता अवधि के साथ मासिक संविदा मूल्य का एक दशमलव शून्य पांच (1.05) गुना के समतुल्य होगा"

सनोज कुमार झा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./314/2020-21]

टिप्पण:

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें व अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2020 दिनांक 31 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III, खंड 4, सं. 43 में प्रकाशित हुआ था।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION AMENDMENT

New Delhi, the 25th March, 2020

No. L-1/253/2019/CERC .—In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) Regulations, 2020 (hereinafter referred to as the "Principal Regulations") namely:-

1. Short Title and Commencement

- a. These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) (First Amendment) Regulations, 2020.
- b. These regulations shall come into force with effect from the date of notification in Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 8 of the Principal Regulations:

2.1 A new proviso shall be added to sub-clause (e) of clause (1) of Regulation 8 of the Principal Regulations, as under:-

“Provided that the trading margin shall not be less than zero (0.0) paise/kWh from either of the parties to the banking transaction.”

3. Amendment to Regulation 9 of the Principal Regulations:

3.1 A new proviso shall be added after sub-clause (b) of clause (10) of Regulation 9, as under:-

“Provided that where the duration of the short term contract is more than one month, the letter of credit in favour of the seller shall be equivalent to one point zero five (1.05) times of the monthly contract value with validity period equal to validity of the contract”

SANOJ KUMAR JHA, Secy.

[ADVT-III/4/Exty./314/2020-21]

Note:

The Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of trading licence and other related matters) Regulations, 2020 were published in Part III, Section 4, No. 43 of the Gazette of India (Extraordinary) dated January 31, 2020.